न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं0 06/2019(पत्थर गड्‌डी)

विजयसिंह पुत्र धूकलराम जाति जाट निवासी ग्राम बाय तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं.धारा 136 रा.भू—राजस्व अधिनियम
राजस्व रिकार्ड में नाम सही व दुरूस्त करवाने बाबत

वकील प्रार्थी—श्री विजेन्द्रसिंह दूत
वकील प्रति0— राज पैरोकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 18.09.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बाय की कृषि भूमि ख.न. 785/0.80, 788/0.78 कुल रकबा 1.58 है0 स्थित है जिसको 1/2 हिस्से का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और 1/2 हिस्से का अन्य खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में हिस्से का अन्य खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के संबंध में हिस्से व कब्जे काश्त का कोई विवाद नही है, लेकिन उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज कर रखा है जिसको सही व दुरूस्त करवाने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी का सही नाम विजयसिंह पुत्र धूकलराम है लेकिन उक्त कृषि भूमि क राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम विजयसिंह के स्थान पर विजेन्द्र दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड परिवार राशनकार्ड आयकर विभाग के पैन कार्ड व शिक्षा के रिकार्ड व अन्य रिकार्ड से विजयसिंह पुत्र धुकलराम होना साबित है। हालांकि विजयसिंह व विजेन्द्र उक्त दोनो नाम आपस में मिलते जुलते नाम होने से उक्त गलती हुई है जो लिपिकीय अशुद्धि है जिसको संशोधन किया जाकर राजस्व में प्रार्थी का नाम विजेन्द्र पुत्र धुकल के स्थान पर विजयसिंह पुत्र धुकलराम दर्ज किया जाकर सही व दुरूस्ती की जानी न्याय संगत है तथा विजयसिंह पुत्र धुकलराम के नाम का प्रार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नही है। इसलिये उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम विजेन्द्र के स्थान पर विजयसिह दर्ज करवाकर सही व दुरूस्ती बाबत उक्त प्रार्थना पत्र पेश है।

उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत हो जाने से कई प्रकार की परेशानी पैदा हो रही है प्रार्थी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण अनुदान लेने के लिये पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तब उक्त सही वस्तुस्थिति की प्रार्थी को जानकारी हुई हैं इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.न. 785/0.80, 788/0.78 कुल रकबा 1.58 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम विजेन्द्र पुत्र धोकल के स्थान पर विजयसिंह पुत्र धुकलराम दर्ज किया जाकर संशोधन किया जावे और इसी प्रकार से सही व दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी राज पैरोकार द्वारा सहखातेदार सहमत होने पर रिकार्ड शुद्ध किया जाना उचित होना आदेशिका में अंकित किया गया। प्रार्थी का भाई सुरेश कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में सहमति जाहिर की गई। अतः बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड नकल जमाबंदी ग्राम बाय संवत 2075—78 के अनुसार भूमि ख.न. 785/0.80, 788/0.78 है0 किता 2 कुल रकबा 1.58 है में प्रार्थी का नाम विजेन्द्र पुत्र धोकल हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.दे.खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत रिकार्ड यथा मतदाता

Scanned by CamScanner

परिचय पत्र, परिवार राशनकार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2001 मार्कशीट तथा आधार कार्ड तथा पैन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम विजयसिंह पुत्र धुकलराम नाम अंकित है। अतः मुताबिक दस्तावेज प्रार्थी का सही नाम विजयसिंह पुत्र धुकलराम होना साबित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम बाय की भूमि ख.न. 785/0.80, 788/0.78 है0 किता 2 कुल रकबा 1.58 है0 में प्रार्थी का नाम विजेन्द्र पुत्र धोकल के स्थान पर विजयसिंह पुत्र धुकलराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की भूमि संबंधित बैंक के रहन दर्ज कर मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner